

पक्का श्री एडप्लेसि वदस हुनी गइ, जयि के अदि-
पक्का ने कलाया ही जयि के अपने ध्यालेदारी खेल
के चारों ओर पक्के नैधम स्थापित इवाना क्रवशु
है। इसलिये जयि के नैधमवनी क्रवडन स्वीडर शीया
जाडर नैधमवनी आडेवा शीया जाके।

अतः जयि के नैधमवनी क्रवडन
स्वीडर शीया जाडर लखीलडाए कायडु के इमिशान
निमुक्त शीया जाता है व आडेवा डिआ जाता है
कि काय स्वभं या अपने अदिनाए शीया भी भूठ
अमिलेय निरिसड ले जयि के ध्यालेदारी खेल हीपक्की
नैधमवनी मोडे पर कुलुड जमाउडाड हरे, पालना
रिपोर्ट गाल हैन पर कागिल पभावनी ही पभावनी
कमल कुमार है, दर्ज नाबर ले इम है, दागिल
दमतर डी/१
१०.५.२०१९

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक/वाद/2019/ 115

दिनांक:-

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. पुराराम पुत्र गंगाराम जाति जाट
निवासी कोलू
तहसील बायतु जिला बाडमेर

1. देवाराम पुत्र लिखमाराम वगैरा
निवासी कोलू
तहसील बायतु(बाडमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 97/19

आदेश

मौजा कोलू पटवार हल्का कोलू तहसील बायतु जिला बाडमेर के खेत खसरा नम्बर 1128/434 रकबा 42.13 बीघा की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू.अ.निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा करा कर करें तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी नागाणा/बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



28/10/4/19
उपखण्ड अधिकारी (SDO)
बायतु
दिनांक:- 10/4/19

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी कोलू को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री पुराराम वगैरा
4. विप्रार्थी श्री देवाराम वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, नागाणा /बायतु।

28/10/4/19
उपखण्ड अधिकारी (SDO)
बायतु